क्रमांक 2211-2 जी0 एस0-II-77/15761

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (ना) हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

चण्डीगढ़, दिनांक 8 जून, 1977 ।

विषय : परीक्षा द्वारा लिपिकों की सहायक के पदों पर पदोन्नति ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के पृ0-क्रमांक 603-2 जी0एस0-II-77/2760, दिनांक 28-1-77 की ओर आकर्षित करूं और सूचित करूं कि सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ ऐसे विभाग हैं, जिनके सेवा नियमों में सहायक ग्रेड परीक्षा का उपबन्ध था किन्तु वे लिपिकों को सहायक के पदों पर बिना परीक्षा लिए तदर्थ आधार पर पदोन्नत करते रहे हैं ।

यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे केसों में 21-1-77 से पूर्व लिपिकों से सहायक के पदों पर हुई पदोन्नतियां इस तदर्थ पदोन्नति की तिथि से नियमित कर दी जाए ।

सभी विभागों के सेवा नियमों में (power of relaxation) का उपबन्ध होता है। अतः इस उपबन्ध का प्रयोग करके वे सभी विभाग जिनके सेवा नियमों में सहायक ग्रेड परीक्षा का उपबन्ध है, उन सहायकों की पदोन्नतियां जो 21-1-77 से पहले पदोन्नत हुए थे, पदोन्नति की तिथि से नियमित कर दें।

इन आदेशों की विधिवत पालना के लिए नोट किया जाये ।

भवदीय,

हस्ता0/-
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित

वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा । सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।